बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 5 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 6.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.40 अपराह्न तक

1. आसन की घोषणा

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने घोषणा की कि माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रिगण, वृहस्पतिवार दिनांक 8-3-2018 से जितनी भी बिहार विधान परिषद् की कमिटी और पदधारक हैं वे विस्तारित भवन में जो कक्ष आवंटित हैं उन्हीं में बैठेंगे । मैं, मेरा सचिवालय विधान परिषद् का और सचिव वहीं बैठेंगे । वहीं से हमलोग काम करेंगे। ये सूचना आप लोगों को दी गयी । कृपया इसमें सहयोग करेंगे ।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने बालू की किल्लत के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य श्री सुबोध कुमार से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है ।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्यगण हाथों में पोस्टर दिखाते हुए तथा नारेबाजी करते हुए सदन बेश्म में चले आए, जबकि माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं तथा माननीय मंत्री से इसपर जवाब दिलवाने की मांग करने लगीं।

इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि बहुत सारे प्रश्न उससे संबंधित हैं, संकल्प भी है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल बड़े प्यार और स्नेह से आपलोगों ने सदन को चलाया, उसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि 4 अप्रैल तक इसी तरह आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होगा और सदन चलेगा। असल जो महत्वपूर्ण काम है जनता के सवाल को सदन में लाना और जनता की समस्या का समाधान सरकार करे, इस प्रश्न को उठाना।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 38, 39, 40 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 41, 42, 44, 45, 47, 48 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 43 एवं 46 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 38 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार ने कहा कि कार्रवाई करेगी, माननीय मंत्री ने कहा कि कागज देख लेंगे और उसपर कार्रवाई करेंगे। इसलिए वह कागज माननीय मंत्री को दे दीजिए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 89 से 107 तक उत्तरित हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या– 93 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, आप भवन निर्माण विभाग के साथ बैठक करें, चूंकि यह मामला आपके विभाग से संबंधित है, इसलिए उनके साथ बैठक करके शीघ्रातिशीघ्र भवन निर्माण का काम करवा दें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 106 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लेंगे।

4. औपचारिक कार्य

श्री गुलाम रसूल, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति के द्वारा समिति के 186वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं इसपर सदन की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. **शून्यकाल**

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री राधाचरण साह
2. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का निदेश

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि दोनों शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है।

6. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला में दो अदद अत्याधुनिक चीनी मिल की स्थापना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने वक्तव्य दिया।

   आसन का नियमन

   सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, जो पूरक में जिला पदाधिकारी के द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा सरकारी संपत्ति को बेचने से संबंधित बात आयी है, वह कागज सदन के पटल पर रखकर माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार जी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसकी विभाग से जांच कराकर उचित कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग लोग न करें। माननीय सदस्य, आसन से जो आप उम्मीद रखते हैं वह उम्मीद आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आप प्वायंटेड ध्यानाकर्षण करते, इस विषय को लाते तो फिर सरकार उत्तर देती। जो मामला था, उसको उजागर करना चाहिए था, वह आपने इसमें नहीं किया।

   माननीय उप सभापति महोदय ने यह भी नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुरूप आप इसपर कार्रवाई कराकर, जांच कराकर, चलते सत्र में हमको एवं सदन को अवगत कराइए।

2. माननीय सदस्य, श्री शिव प्रसन्न यादव द्वारा बिहार विधान मंडल के पूर्व सदस्यों के पुत्र-पुत्री एवं माता-पिता के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मंगल पाण्डेय ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री से आग्रह है कि माननीय सदस्यों का पी.एम.सी.एच. में जो बिल जाता है, उसमें विलंब होता है, उसको जल्द पास करा दें।

3. माननीय सदस्या, श्रीमती रीना यादव उर्फ रीना यादव द्वारा सरकारी योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधान परिषद् / सभा के सदस्यों को ससमय आमंत्रण पत्र प्राप्त कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आपका जो नियम-कानून है, उसके मुताबिक माननीय सदस्यों की जो योजना अनुशंसित होती है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसमें मैंने भी देखा है, नजदीक से देखा है, इसमें थोड़ी-सी सख्ती आपको करनी पड़ेगी। मेरा आग्रह है कि एक बार फिर से निदेशित कर दें।

(अंतराल)

7. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नगर परिषद् स्थित बुढ़वा महादेव अभयनाथ धाम पौराणिक धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार करते हुए इसे पर्यटन स्थल घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नई दिल्ली स्थित सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन पर एम.एल.ए. / एम.पी. के टिकट काउन्टर को अविलम्ब खोलवाने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

3. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'देश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तय किए गए पाठ्यक्रम के बदले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को ही लागू करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्य, श्री सच्चिदानन्द राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'संसद व विधान मंडल की तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के सदस्यों के लिए नियमित वेतन भत्ता एवं पेंशन की व्यवस्था लागू करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार में सरकारी सेवाओं में सामान्य जातियों (मुस्लिम की ऊंची जाति सहित) के गरीबों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करे।'

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री दिलीप राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'रद्द बापूधाम (मोतिहारी) सीतामढ़ी भाया शिवहर रेल परियोजना जिसकी राशि आवंटित थी, को पुन: चालू करने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

7. माननीय सदस्य, श्री सोनेलाल मेहता ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'खगड़िया जिला के खगड़िया-अलौली प्रखण्ड की बागमती नदी पर निर्मित सोनमनकी पुल के आगे 'सुगर कोल धार' में आर.सी.सी. पुल का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

8. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार के मान्यता प्राप्त वित्तरहित हाई स्कूलों, इंटर एवं डिग्री कॉलेजों को दी जानेवाली अनुदान के बजाय घाटानुदान दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'जनहित में पटना स्थित 'बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन' का अधिग्रहण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'रेल मंत्रालय से प्रीमियम ट्रेनों यथा राजधानी, शताब्दी एवं दूरन्तो जैसी ट्रेनों से फ्लैक्सी किराया प्रणाली को समाप्त करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

11. माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी से बसैठ होते हुए सीतामढ़ी जिला के पुपरी तक प्रस्तावित रेल लाइन के विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

12. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सीतामढ़ी शहर का नाम सीतामही करे।'

(प्रस्ताव पर समय लिया गया।)

13. माननीय सदस्य, प्रो.(डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'सिवान मैरवा रोड में सिवान कचहरी स्टेशन के रेलवे ढाला पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

14. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राजेन्द्र सेवाश्रम, अनुग्रह नगर, मैरवा, सिवान की जमीन पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के नाम से एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

15. माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'रोहतास जिलान्तर्गत शिव सागर प्रखण्ड के ग्राम किरहिंडी में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

16. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'वैशाली जिलान्तर्गत महनार प्रखण्ड के हसनपुर पलवैया के प्राचीन बाबा गणीनाथ धाम स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

17. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'अन्य लोकसेवकों की भांति सजायाफ्ता पूर्व जनप्रतिनिधियों का पेंशन एवं देय अन्य सुविधाएं बंद करने तथा पूर्व से प्राप्त राशि को वापस करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

18. माननीय सदस्य, डा. मदन मोहन झा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार के मान्यता प्राप्त वित्त रहित हाई स्कूलों, इंटर एवं डिग्री कॉलेजों को दी जानेवाली अनुदान राशि नियमित कर शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का भुगतान बचत खाता में करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

19. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बेगूसराय जिला के सिमरिया के ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए सिमरिया धाम का पर्यटन के दृष्टिकोण से एक समेकित योजना बनाकर समग्र विकास करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

20. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखण्ड में रसूलपुर हुसैन चौड़ से बाया नदी तक स्थित आहर का पक्कीकरण कराते हुए इसके आसपास स्थित पंचायतों को सिंचाई सुविधा दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

21. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रकाश ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ''कविवर रामधारी सिंह दिनकर' के नाम से एक विश्वस्तरीय साहित्य महोत्सव का आयोजन करे।'

(प्रस्ताव पर समय लिया गया।)

22. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनुदानित विद्यालय, इंटर महाविद्यालय एवं डिग्री महाविद्यालय का अधिग्रहण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

23. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखण्ड मुख्यालय में नया थाना स्थापित करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

24. माननीय सदस्य, डा. रणवीर नंदन ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना जिलान्तर्गत बैकटपुर मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

25. माननीय सदस्य, श्री चन्देश्वर प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार में कृषि को कृषि उद्योग का दर्जा देने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

26. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के लिए लोकसभा, विधान सभा के चुनावों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

27. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'लखीसराय जिला के रामगढ़ प्रखण्ड से लखीसराय जमुई सड़क में सरमा तक 05 (पांच) किलोमीटर पथ ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहण कर पथ निर्माण विभाग से सड़क निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सी.पी. सिन्हा
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. श्री सतीश कुमार
4. डा. संजीव कुमार सिंह
5. श्री राधाचरण साह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 7.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

6/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 367 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 6.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
6-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।